न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 649 / 2016

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। — — **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति कम्बोज सिख साकिन चक ए छोटी श्रीगंगानगर। — — **अप्रार्थी**

दावा अन्तर्गत धारा 86 आर.टी.ए. बाबत विधि विरूद्ध पेड़ कटाई

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. पैरोकार राज प्रार्थी
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– **11.05.2017**

प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 86 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि पटवारी ल्कि 4 एम.एल. द्वारा कार्यालय हाजा में दिनांक 01.06.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि श्री भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति कम्बोज सिख चक ए छोटी श्रीगंगानगर ने चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 6 व 15 में बिना स्वीकृति के सात हरे पेड़ आम के काट लिये है जिसकी मौका जांच करनें पर पाया गया कि पेड़ बिना स्वीकृति के हटाये गये है। मौका पर अप्रार्थी के रकबा से पेड़ को जब्त कर कब्जा बहक सरकार लिया जाकर श्री हरभजनसिंह पुत्र करतारसिंह जाति कम्बोजसिख साकिन प्रेमनगर नजदीक बलवन्तसिंह की ढ़ाणी के सपुर्दगी में रखवाये गये है फर्द मौका कार्यवाही संलग्न है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसमें से बिना स्वीकृति के पेड़ हटाये गये है जो नियमों के विरूद्ध है।

वाद प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र में जिन आम के पेड़ो को काटनें का कथन किया गया है इनके सम्बंध में आई.एल.आर. श्रीगंगानगर द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार की गई तथा यह स्पष्ट कथन किया गया कि पेड़ अधिकाशं सुख चुकें है। इस प्रकार सुखे पेड़ ना केवल भूमि को क्षतिकारित कर रहे थे बल्कि इस अवस्था में थे कि वह स्वतः ही गिरनें की कगार पर थे जिसके कारण जानमाल का भी खतरा पैदा हो चुका था । इस प्रकार इनका हटाया जाना आवश्यक था वाना यह भूमि आदि को हानि पहुँखनें की स्थिति में थे।

केवल मात्र मन्जूरी योग्य हरे पेड़ों के लिये ही पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। जबकि आम के पेड़ों के लिये जो कि सूख चुके हो तथा गिरने की कगार पर हो के लिये किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यक्ता कानूनन नहीं होनें से मामला धारा 86 आर.टी.एक्ट की परिधि में नहीं आता इस प्रकार गल्त तौर से वाद पेश किया गया है। जो कि खारिज करनें योग्य है।

पेड़ों कर अवस्था को देखते हुए कानूनन पूर्व स्वीकृति की आवश्यक्ता नहीं कही जा सकती अतः चाहा गया अनुतोष कतई स्वीकार नहीं है। यह भी निवेदन है, कि दावा में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। ना ही अनुतोष का पैरा अंकित किया गया है। कि न्यायालय से क्या अनुतोष चाहा गया है। अतः वाद स्वतः ही गलत होनें से खारिज करनें योग्य है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस सुनी गई पैरोकार राज द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए वाद स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की दौरानें बहस अपनें जबाब वाद पत्र के बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा लगाये गये आम के पेड़ खेती प्रयोजनार्थ (बाग) के लगे हुए थे न की वे व्यवसायिक पेड़ थे जिसके कारण व समय उपरान्त फल देना बन्द कर दिया तथा सुखनें लगे जिस कारण अन्य खेती करनें हेतु उनको हटाया जाना आवश्यक था जिसके लिये किसी भी स्वीकृति की आवश्यक्ता नहीं होती है। अतः वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी के वाद पत्र कृषि प्रयोजनार्थ पड़ों के सन्दर्भ में होनें के कारण स्वीकार योग्य नहीं है तथा ना ही अपनें वाद पत्र मे किसी प्रकार को कोई अनुतोष चाहा गया है जिसके सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा विचार किया जा सके।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर.टी.ए. पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त वाद में वर्णित आम के पेड़ जो अप्रार्थी भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति कम्बोज सिख साकिन चक ए छोटी श्रीगंगानगर द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से हटाये गये थे जिनका कब्जा बहक सरकार लिया गया था को अप्रार्थी को वापिस लौटाये जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर